भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 254

19 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: आरकेवीवाई का संशोधन

254. श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री धनुष एम. कुमार:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री रघुराम कृष्ण राजू:

श्री जी. सेलवम:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्याकृषिएवंकिसानकल्याणमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में संशोधित किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या आरकेवीवाई-रफ्तार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे शुरू किया गयाथा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितनी निधि स्वीकृत/व्यय की गई है;

(ङ) आरकेवीवाई-रफ्तार को लागू करते समय सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(च) क्या सरकार ने देश में आरकेवीवाई-रफ्तार के कामकाज की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है; और

(छ) क्या यह योजना किसानों के प्रयासों को सहायता देकर जोखिम कम करने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषिएवंकिसानकल्याण मंत्री (श्रीनरेन्द्र सिंहतोमर)

(क), (ख) और (छ): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को दिनांक 01.11.2017 से कृषि-उद्यमिता और नवाचारों को बढ़ावा देने के अलावाकिसान के प्रयास को मजबूत करने, विकास पर अधिक ध्यान देते हुए जोखिम कम करने और फसल-पूर्व तथा फसलोपरांत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के व्यापक उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में संशोधित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित 1890 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है और इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कुल 7240.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, 2018-19 से इस योजना के तहत शुरू किए गए कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम के तहत, 1014 स्टार्ट-अप को उन कृषि पद्धतियों में विभिन्न निचले स्तर पर नवाचारों के साथ समर्थन दिया गया है जो दक्षता बढ़ाते हैं और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं।

(ग) से(ड.): आरकेवीवाई-रफ़्तार परियोजना/अवसंरचना और लाभार्थी उन्मुख योजना का एक संयोजन है। लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं का विवरण का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन और निर्मुक्ति अनुबंध-I में दी गई है। आरकेवीवाई के आरडीएमआईएस पोर्टल में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत स्वीकृत क्षेत्रवार परियोजनाएं अनुबंध-II में दी गई हैं।

आरकेवीवाई के क्रार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। योजना को प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार और समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों पर विचार करते हुए लागू किया जा रहा है।

(च): नीति आयोग ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए आरकेवीवाई-रफ़्तार योजना सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 12.07.2022 तक की स्थिति के अनुसारवर्ष 2019-20 से 2022-23 तकके दौरान आरकेवीवाई के तहत राज्य-वार आवंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आवंटन			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	210.34	185.01	203.47	183.20
2	अरुणाचल प्रदेश	19.46	26.46	14.74	18.66
3	असम	219.93	188.49	159.95	226.86
4	बिहार	184.53	179.16	140.95	131.80
5	छत्तीसगढ़	132.66	126.44	91.03	80.84
6	गोवा	16.28	17.87	17.94	17.80
7	गुजरात	118.07	134.17	145.84	130.32
8	हरियाणा	68.97	86.11	83.89	57.69
9	हिमाचल प्रदेश	24.90	27.02	23.54	22.37
10	जम्मू और कश्मीर	21.17	8.20	10.58	9.00
11	झारखंड	109.50	93.58	60.02	50.57
12	कर्नाटक	191.20	249.72	218.84	206.09
13	केरल	66.95	63.42	63.11	55.74
14	मध्य प्रदेश	182.53	170.96	197.46	180.50
15	महाराष्ट्र	261.76	290.88	249.23	229.77
16	मणिपुर	16.33	19.23	23.25	31.57
17	मेघालय	20.06	21.35	23.70	31.90
18	मिजोरम	11.74	13.28	33.65	49.37
19	नागालैंड	38.83	33.88	17.14	22.64
20	ओडिशा	207.84	190.60	107.26	90.06
21	पंजाब	90.95	145.96	151.29	85.22
22	राजस्थान	165.71	159.84	179.64	166.37
23	सिक्किम	15.59	9.48	9.40	20.34
24	तमिलनाडु	176.63	176.83	197.96	182.32
25	तेलंगाना	261.18	177.04	207.64	186.00
26	त्रिपुरा	56.61	44.21	52.31	74.28
27	उत्तर प्रदेश	348.06	402.14	302.71	255.27
28	उत्तराखंड	23.37	46.64	54.15	52.83
29	पश्चिम बंगाल	223.27	204.15	188.01	170.85
	कुल राज्य	3484.41	3492.10	3228.71	3020.22
30	दिल्ली	3.30	0.00	0.23	0.10
31	पुदुचेरी	2.70	0.00	4.04	4.90
32	अंडमान और निकोबार	2.30	2.60	2.61	2.60
33	चंडीगढ़	0.20	0.00	0.13	0.10
34	दादरा औरनगर हवेली	2.90	0.10	0.10	0.10
35	दमन और दीव	0.50	0.10	0.11	0.10
36	लक्षद्वीप	0.30	0.10	0.10	0.10
37	लद्दाख		7.00	9.00	9.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	12.20	9.90	16.32	17.00
	कुल योग (संघ राज्य क्षेत्र+राज्य)	3496.06	3501.45	3244.48	3037.22

लो.स.अता.प्र.सं. 254

अनुबंध- II

क्षेत्रवार अनुमोदित परियोजना संख्या 2019-20

क्र सं.	राज्य	फसल	बागवानी	सेरी	एनएचबी	अन्य	मत्स्य	सहकारी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	विस्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	ऐजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीईवी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	4	2	8	1	5	0	2	3	1	1	1	0	0	0	29	0	0	1	10	68
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	2	3	1	0	0	1	0	2	0	15
3	बिहार	34	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
4	छत्तीसगढ़	3	18	0	0	3	11	0	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	50
5	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
6	गुजरात	3	7	0	4	4	1	0	1	6	2	2	1	1	0	0	23	1	0	1	1	58
7	हरियाणा	4	3	0	11	2	1	0	3	1	1	0	1	0	1	1	18	3	2	1	2	55
8	हिमाचल प्रदेश	1	4	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	19
9	कर्नाटक	3	10	10	8	5	7	1	3	4	0	2	6	0	0	0	25	3	1	2	0	90
10	केरल	3	2	0	5	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	7	4	1	0	30
11	मध्य प्रदेश	0	2	0	3	0	3	1	0	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20
12	महाराष्ट्र	1	6	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	1	1	17
13	मणिपुर	0	1	0	3	4	1	1	0	2	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	17
14	मेघालय	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15	मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	नागालैंड	3	4	7	3	7	5	1	1	2	0	3	3	5	1	2	3	6	1	3	0	60
17	ओडिशा	3	11	0	2	2	4	0	1	0	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	30
18	पंजाब	2	3	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	18
19	राजस्थान	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	15
20	तमिलनाडु	4	7	0	5	0	13	3	1	1	2	4	4	3	0	0	3	1	0	0	2	53
21	तेलंगाना	1	6	3	6	0	1	1	6	7	1	6	0	0	0	0	11	0	0	0	0	49

22	त्रिपुरा	2	2	0	6	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16
23	उत्तर प्रदेश	8	4	2	10	3	1	1	0	3	1	0	4	0	0	0	13	0	1	2	1	54
24	पश्चिम बंगाल	3	7	2	1	0	4	2	1	4	0	1	2	0	0	0	1	0	4	0	0	32
		78	**105**	**26**	**91**	**39**	**63**	**11**	**25**	**50**	**9**	**35**	**34**	**15**	**7**	**5**	**148**	**27**	**16**	**16**	**19**	**819**

कुल परियोजना संख्या 819

फसल-फसल विकास; एचओआरटी- बागवानी; सेरी-रेशम उत्पादन; एएनएचबी-पशुपालन; अन्य - अभिनव कार्यक्रम/अन्य; एफआईएसएच- मत्स्य पालन; कॉप - सहकारी/सहकारिता;आईपीएमटी - एकीकृत कीट प्रबंधन; बीज-बीज; एफआईएनएम-उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी-कृषि यंत्रीकरण; ईएक्सटीएन-विस्तार; एमआरकेटी- विपणन और फसलोंपरांत प्रबंधन; एनओएमएफ-गैर-कृषि गतिविधियां; आईटीईसी- सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई- अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि); एनआरएम-प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई-सूक्ष्म/लघु सिंचाई; ओआरएफएम-जैविक खेती/जैव उर्वरक; डीडीईवी-डेयरी विकास

नोट:- डेटा का स्रोत-आरकेवीवाई डेटा प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरडीएमआईएस)में राज्य सरकार द्वारा दर्ज।शेष राज्यों द्वारा आरकेवीवाई-आरडीएमआईएसपोर्टल में डेटा दर्ज नहीं किया गया है।

क्षेत्रवार अनुमोदित परियोजना संख्या 2020-21

क्र.सं.	राज्य	फसल	बागवानी	सेरी	एनएचबी	अन्य	मत्स्य	सहकारी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	विस्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	ऐजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीईवी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	9	3	0	3	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	22
2	बिहार	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
3	छत्तीसगढ़	2	14	0	0	0	10	0	2	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	37
4	गुजरात	10	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	हरियाणा	2	3	0	7	1	2	0	1	2	0	0	0	2	0	0	11	4	1	0	3	39
6	कर्नाटक	1	12	6	3	6	5	9	1	2	1	3	5	4	0	0	29	2	0	0	0	89
7	केरल	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8
8	मध्य प्रदेश	0	3	0	8	1	3	4	1	4	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	5	39
9	महाराष्ट्र	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
10	मणिपुर	0	2	2	0	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	13
11	मेघालय	0	2	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	0	17
12	नागालैंड	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	ओडिशा	2	12	0	0	0	1	0	5	1	0	2	0	0	0	0	3	2	0	0	1	29
14	पंजाब	7	7	1	2	1	3	0	1	1	3	0	0	3	2	0	15	0	2	0	3	51
15	राजस्थान	0	2	0	0	0	3	3	3	1	0	0	1	0	0	0	5	5	0	0	0	23
16	तमिलनाडु	7	8	0	5	0	13	2	1	3	1	4	0	5	0	0	5	1	0	1	1	57
17	तेलंगाना	1	10	4	4	0	1	0	1	4	1	1	0	1	1	0	6	0	0	0	0	35
18	त्रिपुरा	4	2	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20
19	उत्तर प्रदेश	11	7	2	6	1	4	2	1	6	1	0	11	2	0	0	31	1	0	2	0	88
20	उत्तराखंड	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
21	पश्चिम बंगाल	7	7	1	1	0	2	0	1	5	0	1	5	8	0	0	0	0	3	0	0	41
कुल		84	107	19	50	14	58	23	20	40	11	20	25	26	5	0	106	24	8	7	18	665

कुल परियोजना संख्या 665

फसल-फसल विकास; एचओआरटी- बागवानी; सेरी-रेशम उत्पादन; एएनएचबी-पशुपालन; अन्य - अभिनव कार्यक्रम/अन्य; एफआईएसएच- मत्स्य पालन; कॉप - सहकारी/सहकारिता;आईपीएमटी - एकीकृत कीट प्रबंधन; बीज-बीज; एफआईएनएम-उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी-कृषि यंत्रीकरण; ईएक्सटीएन-विस्तार; एमआरकेटी- विपणन और फसलोंपरांत प्रबंधन; एनओएमएफ-गैर-कृषि गतिविधियां; आईटीईसी-सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई- अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि); एनआरएम-प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई-सूक्ष्म/लघु सिंचाई; ओआरएफएम-जैविक खेती/जैव उर्वरक; डीडीईवी-डेयरी विकास

नोट:- डेटा का स्रोत-आरकेवीवाई डेटा प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरडीएमआईएस)में राज्य सरकार द्वारा दर्ज।शेष राज्यों द्वाराआरकेवीवाई-आरडीएमआईएसपोर्टल में डेटा दर्ज नहीं किया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 254

अनुबंध- II

क्षेत्रवार अनुमोदित परियोजना संख्या 2021-22

क्र सं..	राज्य	फसल	बागवानी	सेरी	एनएचबी	अन्य	मत स्य	सह कारी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	वि स्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	ऐजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीईवी	कुल
1	बिहार	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	गुजरात	2	0	0	3	3	1	0	1	3	0	1	2	1	0	0	9	0	0	0	2	28
3	हरियाणा	4	3	0	4	2	6	0	2	1	1	0	1	0	0	0	22	4	2	0	2	54
4	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	कर्नाटक	1	15	8	5	0	2	5	0	1	0	1	1	0	0	0	12	1	0	0	0	52
6	केरल	6	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	3	23
7	मध्य प्रदेश	0	12	0	4	0	1	1	0	4	0	2	7	1	0	2	0	0	2	0	0	36
8	महाराष्ट्र	0	3	0	4	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	17
9	मेघालय	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	13
10	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	ओडिशा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	राजस्थान	1	1	0	4	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	18
13	तमिलनाडु	5	4	0	9	0	15	5	1	1	1	6	2	3	0	0	5	1	2	2	5	67
14	त्रिपुरा	3	3	0	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18
15	उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
16	पश्चिम बंगाल	8	10	3	9	2	3	1	1	3	1	5	3	1	0	0	4	1	6	1	0	62
कुल		**41**	**61**	**11**	**47**	**15**	**34**	**12**	**9**	**18**	**5**	**18**	**18**	**9**	**1**	**2**	**61**	**12**	**13**	**5**	**14**	**406**

कुल परियोजना संख्या 406

फसल-फसल विकास; एचओआरटी- बागवानी; सेरी-रेशम उत्पादन; एएनएचबी-पशुपालन; अन्य - अभिनव कार्यक्रम/अन्य; एफआईएसएच- मत्स्य पालन; कॉप - सहकारी/सहकारिता;आईपीएमटी - एकीकृत कीट प्रबंधन; बीज-बीज; एफआईएनएम-उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी-कृषि यंत्रीकरण; ईएक्सटीएन-विस्तार; एमआरकेटी- विपणन और फसलोंपरांत प्रबंधन; एनओएमएफ-गैर-कृषि गतिविधियां; आईटीईसी-सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई- अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि); एनआरएम-प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई-सूक्ष्म/लघु सिंचाई; ओआरएफएम-जैविक खेती/जैव उर्वरक; डीडीईवी-डेयरी विकास

नोट:- डेटा का स्रोत-आरकेवीवाई डेटा प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरडीएमआईएस)में राज्य सरकार द्वारा दर्ज।शेष राज्यों द्वाराआरकेवीवाई-आरडीएमआईएसपोर्टल में डेटा दर्ज नहीं किया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 254

अनुबंध- III

नीति आयोग मूल्यांकन रिपोर्ट का सार

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प (आरकेवीवाई-रफ़्तार) योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-लाभकारी दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार इस प्रकार है:

आरकेवीवाई का उद्देश्य अपेक्षित फसल-पूर्व और फसलोंपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है जो गुणवत्ता इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच बढ़ाता है और किसानों को सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। यह योजना राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुनने की अनुमति देती है। आरकेवीवाई इस क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता प्रदान करने के अलावा, राज्यों को कृषि पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करने में सफल रहा है। योजना के लिए परिभाषित आउटपुट संकेतकों के अनुसार, इस योजना के तहत सभी पात्र राज्य आरकेवीवाई योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग कर रहे हैं।

प्रत्येक परियोजना से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए एक वेब-आधारित आरकेवीवाई-प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरकेवीवाई-एमआईएस) स्थापित की गई है। सिस्टम में समय पर परियोजना डेटा ऑनलाइन जमा/अद्यतन करने के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। आरकेवीवाई परियोजनाओं की प्रगति की वित्तीय निगरानी क्षेत्रीय दौरों और बैठकों के माध्यम से की जाती है। एमआईएस और जियो-टैगिंग के जरिए भी मॉनिटरिंग होती है।

*****